

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

### आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

13-12-2017

—: आदेश :-

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 अन्तर्गत आवेदक के द्वारा बिक्री की अनुमति हेतु दायर परमिशन वाद के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 49 अंतर्गत किसी भी ट्रस्ट के नाम से भूमि बिक्री करने हेतु परमिशन नहीं दिया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि रीता चाको फाउन्डेशन द्वारा प्रस्तावित विद्यालय खोलने हेतु मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से निबंधन (रजिस्ट्रेशन) आदि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है। आवेदक का आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,  
रामगढ़।

उपायुक्त,  
रामगढ़